न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 146 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 280

दायर दिनांक :– 20.06.2025 निर्णय दिनांक :– 17.04.2026

1. रामकिशन पुत्र बलूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. गणपतराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
2. छोटूराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
3. दाली पत्नी रामलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
4. बलवन्ताराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
5. भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
6. मालाराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
7. रामनारायण पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम इस आषय से पेष किया है कि सरहद मौजा जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 594 / 2 रकबा 3.8688 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के विपती अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 594 रकबा 3.8688 हैक्टेयर ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप में आई हुई है। जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की खातेदारी भूमि का खसरा नम्बर 594 रकबा 3.8688 हैक्टेयर ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की भूमि से लगती डामर सड़क जो मौके पर जाम्बा से देवलीजाल तक जाती है जिस सड़क मार्ग तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

तहसीलदार बाप की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – (1) जहां–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उनका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है,

तो आदेश के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट में से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से अधिक चौड़ा नहीं, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

है, जिस में से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा किये जाने का अधिकार मंजूर किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा

(2) जहां उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में से अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में से "रास्ता" के रूप में अभिलिखत कर दी जायेगी

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 में से निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिस में होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 आवेदन की जांच और निपटान– प्रारूप 1 में आवेदन प्राप्त होने पर उप–विभागीय अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक भूमि अभिलेख के पद से नीचे के अधिकारी से निरीक्षण कराएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आपतियां आंमत्रित करेगा। उप विभागीय अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि–

(1) आवश्यकता परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आन्नद के लिए नहीं है तथा,

(2) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर नये रास्ते के मामले में, जिसमें पहुंच के वैकल्पिक साधनों का अभाव साबित हो जाता है, आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप की रिपोर्ट व मौका फर्द निम्नानुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर ग्राम जाम्बा की ढाणी के खसरा नंबर 594/2 में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम जाम्बा की ढाणी के खसरा नंबर 594 में से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. ग्राम जाम्बा की ढाणी के खसरा नंबर 594/2 के निकटतम खसरा नंबर 594 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि ग्राम जाम्बा की ढाणी के खसरा नंबर 594 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.0489 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

प्रार्थना पत्र 251क के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन एवं विशलेषण किया गया –

सहायक कलेक्टर
बाप (कलेक्ट्रेट)

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता– पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की फर्द मौका अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।
2. वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं – पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की फर्द मौका के अनुसार आवागमन हेतु प्रस्तावित/चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा खसरा नम्बर 594 के चारों तरफ तारबंदी जाली से बंद है।
3. नया मार्ग लघुतम रूट है या नहीं– पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की फर्द मौका के अनुसार प्रस्तावित किया गया नया मार्ग लघुतम दूरी का है।

उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थी हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव में बरंग से प्रदर्शित मार्ग बतौर 15 फीट चौड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जाम्बा की ढाणी के खसरा नंबर 594 में से 0.0489 हैक्टेयर भूमि मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जावे तथा मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा प्रतिकर की राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)